राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11603/2021

कुलदीप सिंह टेलर, पुत्र स्वर्गीय श्री नेमी चंद वर्मा, उम्र लगभग 20 वर्ष, (स्वर्गीय नेमी चंद वर्मा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा प्रबंधक, पुर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान के माध्यम से शाखा कार्यालय, पंचदीप भवन में यू.डी.सी. के पद पर कार्यरत थे), निवासी 678, अंबिका कॉलोनी, बिहारी गंज, अजमेर (राजस्थान),

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक (ई-II), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली, पिन कोड - 110002।

2. क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अपने क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन कोड - 302001।

3. उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अपने सहायक निदेशक के माध्यम से, 5, भूपालपुरा, आर.के. प्लाजा, उदयपुर, राजस्थान, पिन कोड - 313001।

4. शाखा कार्यालय, पंचदीप भवन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से, पुर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान, पिन कोड - 311001।

----प्रतिवादी

(29/05/2025 को 01:40:55 PM पर डाउनलोड किया गया)

--

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से : सुश्री अनिमा जैन

प्रतिवादी(ओं) की ओर से : श्री तेज प्रकाश शर्मा

--

मानननीय न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

मानननीय न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश

22/04/2024

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 15.09.2021 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पिता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में कार्यरत थे और सेवा के दौरान 06.06.2016 को उनकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे एक विधवा, दो बेटियों और एक बेटे (याचिकाकर्ता) को छोड़ गया। मृतक की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष थी। 15.07.2016 को याचिकाकर्ता ने अपनी मां के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। आवेदन लंबित रहा और ईएसआईसी ने संचार भेजा कि चूंकि याचिकाकर्ता नाबालिग है, इसलिए परिवार के अन्य सदस्य का

(29/05/2025 को 01:40:55 PM पर डाउनलोड किया गया)

नाम प्रतिस्थापित किया जाए। वयस्क होने पर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 21.05.2018 को एक और आवेदन दायर किया।

3. आवेदन 30.01.2019 को खारिज कर दिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के निर्देशों पर भरोसा किया गया था कि केवल उन मामलों में जहां मृतक कर्मचारी का वार्ड नाबालिग है और नियुक्ति के लिए एकमात्र व्यक्ति उपलब्ध है, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आवेदन किया जा सकता है। जबकि वर्तमान मामले में कर्मचारी की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता की दो बड़ी अविवाहित बहनें नियुक्ति के लिए पात्र थीं। अस्वीकृति से व्यथित होकर, मूल आवेदन (अल्पकालिक नियुक्ति हेतु) न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और खारिज होने पर वर्तमान याचिका दायर की गई।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है और नियुक्ति हेतु आवेदन को ऐसे आधार पर खारिज कर दिया है जो अस्वीकृति आदेश में विद्यमान नहीं था।

5. प्रतिवादी के वकील ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की माँ एक सरकारी कर्मचारी थीं।

(29/05/2025 को 01:40:55 PM पर डाउनलोड किया गया)

6. पक्षों के वकीलों को सुना गया, दलीलों का अवलोकन किया गया।

7. अस्वीकृति इस आधार पर की गई कि एक नाबालिग वार्ड को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में छूट केवल उन्हीं मामलों में मिल सकती थी जहाँ कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। जबकि वर्तमान मामले में अविवाहित पुत्रियाँ मृतक की मृत्यु की तिथि पर नियुक्ति के लिए पात्र थीं।

8. न्यायाधिकरण ने संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं किया है, बल्कि इस प्रकार कार्यवाही की है मानो दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया हो कि मृतक कर्मचारी का परिवार निर्धन परिस्थितियों में नहीं था, जो कि अस्वीकृति का आधार नहीं था।

9. न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को नए सिरे से ओए तय करने के लिए वापस भेज दिया जाता है।

(29/05/2025 को 01:40:55 PM पर डाउनलोड किया गया)

10. यह देखते हुए कि मृतक की मृत्यु वर्ष 2016 में हुई थी, न्यायाधिकरण मामले का शीघ्र निपटारा करने का प्रयास करेगा।

(भुवन गोयल),न्यायमूर्ति (अवनीश झिंगन),न्यायमूर्ति

सुदीपक/एचएस/40रिपोर्ट योग्य हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(29/05/2025 को 01:40:55 PM पर डाउनलोड किया गया)